



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]
No. 154]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा. सं. 2-15015/30/2010 (अ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है; और

विनियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4, तारीख 20 अक्टूबर, 2010 द्वारा पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 21 अक्टूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : शीर्षक और आरंभ

1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 है।

1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात विनियम 2.1.7(1)(2)(3)(4), 2.1.11(1)(2), 2.1.12(1) जिसके अंतर्गत परिशिष्ट की सारणी 14 और परिशिष्ट 'ख' की सारणी भी है, प्रवृत्त होंगे सिवाय जो प्रारंभ की तारीख से छह माह के पश्चात प्रवृत्त होंगे; को छोड़कर

परंतु जब कभी इन विनियमों में दिए गए मानक पहले ही प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के उपबंधों में से किसी उपबंध से भिन्न हों तो खाद्य कारखाने प्रचालक, विनियमों के प्रारंभ की तारीख से छह माह के भीतर इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगा।

1.2 : परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. "उबला दूध" से वह दूध अभिप्रेत है जिसे उबाल आने तक गर्म किया गया हो।
2. "तेल रहित भोजन" से बची हुई अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है, जब कोई तेल वाली सामग्री से किसी विलायक द्वारा तेल का निष्कर्षण कर लिया गया है।
3. "डबल टोण्ड दूध" से गाय या भैंस के दूध अधिमिश्रण या दोनों के ताजे मखनिया दूध के साथ, या गाय या भैंस के दूध या दोनों के अधिमिश्रण के द्वारा तैयार किया गया ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो दूध ठोस का समायोजन करके दी गई वसा और गैर वसा ठोस की 2.1.1:1 में नीचे दी गई सारणी में कोई प्रतिशतता तक मानकीकृत किया गया है। यह पास्तेरीकृत होगा और वह ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण उपदर्शित करेगा। जब वसा या शुष्क गैर वसा दूध ठोस का प्रयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पाद संभाग रहे और रखने पर ठोस का कोई जमाव न हो।
4. "हाइड्रोजनीकरण" से किसी खाद्य वनस्पति तेल में किसी उपरक का प्रयोग करके अर्ध-ठोस गाढ़पन के साथ वसा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन मिलाने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।
5. "सुरुचिकारित दूध" में चाहे उसका जो भी नाम हो, दूधफल (संपूर्ण टुकड़े किए हुए या पिसे हुए) चाकलेट, काफी या अन्य खाद्य सुरुचिकारक, खाद्य रंग और ईक्षु चीनी हो सकती हैं। सुरुचिकारित दूध को पास्तेरीकृत, रोगाणुनाशित और उबला हुआ होगा। दूध के प्रकार का वर्णन लेबल पर किया जाएगा।
6. "पूर्ण क्रीम युक्त दूध" से भैंस या गाय का दूध या इन दोनों के दूध के अधिमिश्रण द्वारा तैयार किया गया या दोनों के अधिमिश्रण उत्पाद अभिप्रेत है, जिसे दूध ठोस का समायोजन/मिलाकर करके 2.1.1:1 में नीचे दी गई सारणी में दी गई वसा और गैर वसा प्रतिशतता ठोस की प्रतिशतता तक मानकीकृत किया गया है, पूर्ण क्रीमयुक्त दूध पास्तेरीकृत किया जाएगा। यह ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण उपदर्शित करेगा। इसे स्वच्छ, सुदृढ़ और स्वास्थ्यकर आधानों में उचित रूप से मुहरबंद करके रखा जाएगा जिससे कि संदूषण को रोका जा सके।
7. 'किरणन' से कोई ऐसी भौतिक प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें किरणन आयनन के लिए खाद्य का साशय प्रभावन अंतर्वलित है।
8. 'किरणन सुविधा' से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसका उपयोग किरणन द्वारा खाद्य के अभिक्रियान्वयन के लिए सक्षम है।
- 9 'किरणित खाद्य' से,-
 - (i) गामा किरण;
 - (ii) 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर पर या उससे नीचे प्रचालित मशीन स्रोतों से उत्पन्न एक्सरे; और
 - (iii) उप परमाणु कण, अर्थात् परमाणु ऊर्जा (खाद्य किरणन नियंत्रण) नियम, 1991 की अनुमूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर पर या उससे नीचे से डोज स्तरों तक प्रचालित मशीन स्रोतों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के किरण के अधीन रहते हुए खाद्य वस्तुएं अभिप्रेत हो।

10. "दूध" स्वस्थ दुधारू पशु को पूरा दुहकर प्राप्त स्तनी प्राव है, जिसमें न तो कुछ मिलाया गया है और न ही जिसमें से कुछ निष्कर्षित किया गया है। यह पियूष दूध (कोलास्ट्रम) से मुक्त होगा। विभिन्न वर्गों और विभिन्न के दूध सारणी 2.1.1:1 में अधिकथित मानकों के अनुरूप होंगे।

दूध में यूरिया का अंश 700 पीपीएम से अधिक नहीं होगा।

11. "मिश्रित दूध" से गाय, भैंस, भेड़, बकरी या किसी अन्य दुधारू पशु के दूध का सम्मिश्रण अभिप्रेत है और जो इनमें से किन्हीं भी दूध का ऐसा सम्मिश्रण हो सकेगा जो तैयार किया गया है तथा 2.1.1:1 में नीचे दी गई मानक के अनुरूप है।

12. "दुग्ध उत्पाद" से दुग्ध से प्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है जैसे कि क्रीम, मलाई, दही, मखनिया दूध की दही, छैना, मखनिया दूध का छैना, चीज, प्रसंस्कृत चीज, आइसक्रीम, मिल्क आइस, संघनित दूध, मधुरित और अमधुरित, संघनित मखनिया दूध, मधुरित और अमधुरित, दूध का चूर्ण, मखनिया दूध की चूर्ण, भागत: मखनिया दूध का चूर्ण, खोया, शिशु दूध आहार, टेबल बटर और देसी मक्खन।

दुग्ध उत्पादों में ऐसे पदार्थ नहीं होंगे, जो दूध में नहीं पाए जाते हैं।

13. "कृत्रिम मक्खन" से खाद्य तेलों और वसाओं का जल के साथ पायस अभिप्रेत है।

14. 'किरणन सुविधा प्रचालक' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस रूप में ऐसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे परमाणु ऊर्जा (खाद्य किरणन नियंत्रण) नियम, 1991 की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के लिए विहित अर्हताओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है।

15. "पास्तेरीकरण - "पल्टेरीकरण", "पास्तेरीकृत", शब्दों और समरूप शब्दों का विभिन्न वर्गों के दुग्ध के प्रत्येक कण को, कम से कम 63° सें.ग्रे. तक गर्म करने की और उसे ऐसे तापमान पर कम से कम 30 मिनट तक निरंतर रखने की या उसे कम से कम 71.5° सें. ग्रे. पर गर्म करने की और ऐसे तापमान पर कम से कम 15 सेकेंड तक निरंतर रखने की या ऐसे अनुमोदित तापमान समय संयोजन पर रखने की प्रक्रिया का निर्देश करते हैं जो ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण देने में समर्थ हो।

विभिन्न वर्गों के सभी पास्तेरीकृत दुग्ध का तुरंत पश्चात् 10° सें.ग्रे. या उससे कम तापमान पर शीतल किया जाएगा।

16. "पुनःसंयोजित दूध" से दूध वसा, गैर वसा दूध ठोस और जल से निर्मित संभागीकृत उत्पाद अभिप्रेत है। पुनः संयोजित दूध पास्तेरीकृत होगा और वह ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण उपदर्शित करेगा।

17. "परिष्कृत वनस्पति तेल" से ऐसा कोई वनस्पति तेल अभिप्रेत है, जिन्हें ऐसी सामग्री के निष्पीड़न या विलायक द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो जिसमें वनस्पति तेल हो और जिसका या तो क्षार से और/या भौतिक परिष्करण द्वारा और/या अनुज्ञात खाद्य श्रेणी विलायकों के प्रयोग से विअम्लीकरण किया जाता है और जिसके पश्चात् बिना किसी अन्य रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग किए अवशोषक मिट्टी और/या सक्रिय कार्बन से विभाजित किया गया हो और भाप से निर्गन्धीकरण किया गया हो।

18. "परिष्करण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी निष्पीड़ित वनस्पति तेल या किसी विलायक-निष्कर्षित तेल का विअम्लीकरण -

(i) क्षार से, या

(ii) भौतिक परिष्करण द्वारा, या दोनों से, या

(iii) अनुज्ञात खाद्य श्रेणी विलायकों के उपयोग से विविध परिष्करणों द्वारा किया जाता है और जिसके पश्चात् बिना किसी रासायनिक अभिकर्मकों का प्रयोग किए अवशोषक मिट्टी और/या सक्रिय कार्बन से विभाजित किया गया हो और भाप से निर्गन्धीकरण किया गया हो;

(iv) परिष्करण यदि अपेक्षित हो, जिसके अंतर्गत फास्फोरिक अम्ल का उपयोग करके गोंद हटाने की प्रक्रिया भी है।

19. "मखनिया दूध" से ऐसे दूध से निर्मित किया गया उत्पाद अभिप्रेत है जिससे प्रायः सभी दूध वसा यंत्र द्वारा निकाल ली गई है।

20. "रोगाणुनाशन - "रोगाणुनाशन" पद का प्रयोग जब दूध के साथ किया जाता है, तो इससे ऐसा दूध अभिप्रेत है जो सीलबंद आधानों में या तो 115° सें.ग्रे. के तापमान पर निरंतर 15 मिनट तक या कम से कम 130° सें.ग्रे. तापमान पर एक सेकेंड या अधिक अवधि तक निरंतर प्रवाह में गर्म किया जाता है और फिर अजर्म दशाओं में समुदित आधानों में पैक किया जाता है जिससे कि विनिर्माण की तारीख से कम से कम 15 दिन की अवधि तक इसका कक्ष तापमान पर परिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

21. "मानकीकृत दूध" से गाय का दूध या भैंस का दूध या भेड़ का दूध या बकरी का दूध या इन दूधों में से किसी का सम्मिश्रण अभिप्रेत है जिसे दूध ठोसों का समायोजन करके 2.1.1:1 में नीचे दी गई सारणी में दी गई वसा और गैर वसा ठोस की प्रतिशतता तक मानकीकृत किया गया है। मानकीकृत दूध को पास्तेरीकृत किया जाएगा और यह ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण उपदर्शित करेगा।

22. "विलायक निष्कर्षित तेल" से किसी विलायक द्वारा निष्कर्षण की प्रक्रिया का उपयोग करके तेल युक्त सामग्री से अभिप्राप्त कोई वनस्पति तेल अभिप्रेत है।

23. "विलायक निष्कर्षित खाद्य आटा" से विशेष रूप से तैयार किए गए वितैलीत जूर्ण से प्राप्त की गई आहार सामग्री अर्थात् अच्छी क्वालिटी के आयल केक के एकल निपीड़न के ठीक पश्चात् खली से विलायक द्वारा तेल निष्कर्षित किए जाने पर जो अवशिष्ट सामग्री रह जाती है, अभिप्रेत है।

24. "टोण्ड दूध" से गाय या भैंस के दूध या दोनों के दूध का ताजा मखनिया दूध के साथ सम्मिश्रण द्वारा; या गाय या भैंस के दूध या दोनों के साथ सम्मिश्रण द्वारा तैयार किया गया ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो दूध ठोस का समायोजन 2.1.1:1 में नीचे दी गई सारणी में दी गई वसा और गैर वसा ठोस की प्रतिशतता तक मानकीकृत किया गया है। यह पास्तेरीकृत है और वह ऋणात्मक फास्फेटेज परीक्षण उपदर्शित करेगा। जब वसा या शुष्क गैर-वसा दूध ठोस का उपयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पाद संभाग रहे और रखने पर ठोस का कोई जमाव न हो।

25. "वनस्पति तेलों" से ऐसे आयल केकों या तिलहनों या किए गए तेलयुक्त सामग्रियों, जिनकी पादप उत्पत्ति है को उत्पन्न हैं और ग्लेसिरिाइड अंतर्विष्ट हैं।

26. "वनस्पति तेल उत्पाद" से कोई ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो खाद्य प्रयोजनों के लिए एक या अधिक खाद्य तेलों के किसी एक या संयोजन में, प्रसंस्करणों या संक्रियाओं अर्थात् परिष्करण, सम्मिश्रण, हाइड्रोजनीकरण या अंतः एस्टरीकरण और शीतऋत्व (ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा खाद्य वसा और तेलों को शीतन द्वारा पृथक किया जाता है) द्वारा अभिप्राप्त किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रक्रिया भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

अध्याय 2 : खाद्य उत्पाद मानक

भाग 2.1 : डेयरी और सदृश उत्पाद

2.1.1 दूध :

1. विभिन्न वर्गों और अभिहित दूध के लिए मानक नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होंगे। दूध, स्वतंत्र रूप से, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) और (5) में दूध वसा और दूध ठोस गैर वसा दोनों के लिए यथा विहित पैरामीटरों के अनुरूप होगा :

सारणी

दूध का वर्ग	अभिहित	परिक्षेत्र	न्यूनतम प्रतिशत	
			दूध वसा	दूध ठोस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भैंस का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुलचिकारित और रोगाणुनाशित	असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल	6.0	9.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भैंस का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	अंडमान और निकोबार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और कर्नाटक, केरल, लक्षदीव, मिनिकोय और अमीनदीव समूह मध्य प्रदेश मणिपुर मिज़ोरम नागालैंड उड़ीसा पुंडुचेरी राजस्थान तमिलनाडु त्रिपुरा	5.0	9.0
गाय का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब	4.0	8.5
गाय का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ दादरा और नागर हवेली दिल्ली गोवा, दमन और दीव गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल लक्षदीव, मिनिकोय और अमीनदीव, द्वीप समूह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र	3.5	8.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		मणिपुर मेघालय नागालैंड पांडुचेरी राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल		
गाय का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	मिजोरम, उड़ीसा	3.0	8.5
बकरी या भेड़ का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ हरियाणा केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	3.5	9.0
बकरी या भेड़ का दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार दादरा और नगरहवेली दिल्ली गोवा, दमन और दीव गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर झारखंड कर्नाटक लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड उड़ीसा पुंडुचेरी	3.0	9.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा पश्चिमी बंगाल		
मिश्रित दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	4.5	8.5
मानकीकृत दूध	पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	4.5	8.5
पुनःसंयोजित दूध	पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	3.0	8.5
टोण्ड दूध	पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	3.0	8.5
डबल टोण्ड दूध	पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	1.5	9.0
मखनिया दूध	अपरिष्कृत, पास्तेरीकृत, उबाला हुआ, सुरुचिकारित और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	0.5 प्रतिशत से अनधिक	8.7
पूर्ण क्रीमयुक्त दूध	पास्तेरीकृत और रोगाणुनाशित	संपूर्ण भारत	6.0	9.0

टिप्पण : (i) जब दूध को वर्ग का कोई उपदर्शन के बिना विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो भैंस के दूध के लिए विहित मानक लागू होंगे।

(ii) विभिन्न अभिष्टि के दूध के लिए ताप अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी :

नाम	ताप अभिक्रिया
अपरिष्कृत	कुछ नहीं
पास्तेरीकृत	पास्तेरीकरण
उबाला हुआ	उबालना
सुरुचिकारित	पास्तेरीकरण या रोगाणुनाशन
रोगाणुनाशित	रोगाणुनाशन

2.1.2 क्रीम :

1. क्रीम के अंतर्गत रोगाणुनाशित क्रीम भी है, से गाय या भैंस के दूध या उसके सम्मिश्रण का उत्पाद अभिष्टित है। इसमें स्टार्च और दूध के विजातीय अन्य संघटक से मुक्त होगा। यह निम्नलिखित तीन प्रवर्गों का हो सकेगा, अर्थात् :-

1. न्यून वसा क्रीम - जिसमें भार के आधार पर 25.0 प्रतिशत से अत्यून दुग्ध वसा है।
2. मध्यम वसा क्रीम - जिसमें भार के आधार पर 40.0 प्रतिशत से अत्यून दुग्ध वसा है।
3. उच्च वसा क्रीम - जिसमें भार के आधार पर 60.0 प्रतिशत से अत्यून दुग्ध वसा है।

टिप्पण - दुग्ध वसा के अंश का कोई उपदर्शन किए बिना विक्रय की गई क्रीम उच्च वसा क्रीम के रूप में समझी जाएगी।

2. क्रीम चूर्ण से गाय और/या भैंस के दूध से अभिप्राप्त क्रीम से भागतः जल को निकालकर अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है। क्रीम के वसा और/या प्रोटीन अंश को, दुग्ध संघटकों को ऐसे रीति में मिलाकर और/या निकाल करके समायोजित किया जा सकेगा जिससे समायोजित किए जाने पर दूध केसीन अनुपात के लिए छैने के पानी के प्रोटीन में परिवर्तन न हो। यह एकसमान रंग में होगा और इसमें जाइकेदार स्वाद और सुवास होगा तथा असुवास और विकृतगंधिता नहीं होगी। इसमें वनस्पति तेल/वसा, खनिज तेल, मिलाया हुआ सुवास और दूध के विजातीय पदार्थ नहीं होंगे।

उत्पाद में परिशिष्ट 'क' सहित इन विनियमों में अनुज्ञात खाद्य सहयोज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|--|--------------------------|
| (i) आर्द्रता | 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं |
| (ii) दुग्ध वसा | 42.0 प्रतिशत से कम नहीं |
| (iii) दुग्ध ठोस में दुग्ध प्रोटीन न कि वसा | 34.0 प्रतिशत से कम नहीं |

2.1.3 : मलाई

1. मलाई से गाय या भैंस के दूध या उसके सम्मिश्रण को उबाल कर शीतल करके निर्मित मक्खन वसायुक्त पदार्थ अभिप्रेत है। इसमें 25.0 प्रतिशत से अत्यून दुग्ध वसा होगी।

2.1.4 : दही या कर्ड

1. दही या कर्ड से पास्तेरीकृत या उबाले गए दूध से हानि रहित लैक्टिक अम्ल या अन्य जीवाणु समूह द्वारा प्राकृतिक या अन्यथा आइस्कन्दन द्वारा प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दही में मलाई गई चीनी हो सकेगी। दही में दुग्ध वसा और दूध ठोस और वसा का वही न्यूनतम प्रतिशत होगा जो उस दूध का होता है जिससे वह निर्मित की गई है।

जब दही या कर्ड दूध के वर्ग का कोई संकेत किए बिना विक्रय की जाती है या विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो भैंस के दूध से निर्मित दही के लिए विहित मानक लागू होंगे।

इस उत्पाद के तैयार करने में दुग्ध ठोसों का भी उपयोग किया जा सकेगा।

2.1.5 : छैना या पनीर

1. छैना या पनीर से गाय या भैंस के दूध से या उसके सम्मिश्रण से, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल को मिलाकर प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। उसमें 70.0 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी, दुग्ध वसा अंश शुष्क पदार्थ के 50.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

इस उत्पाद को तैयार करने में दुग्ध ठोस का उपयोग भी किया जा सकेगा।

परंतु पनीर या छैना जब कम वसा के पनीर या छैना के रूप में विक्रय किया जाता है, तो यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|----------------|---|
| (i) आर्द्रता | 70.0 प्रतिशत से अधिक नहीं |
| (ii) दुग्ध वसा | शुष्क पदार्थ के 15.0 प्रतिशत से कम नहीं |

परंतु यह और कि ऐसा कम वसा का पनीर या छैना केवल मुहरबंद पैकेज में बेचा जाएगा और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5(39) में यथा उपबोधित लेबल पर उचित घोषणा होगी।

2.1.6 : चीज

चीज से पक्व या अपक्व नरम या अल्प कठोर, कठोर और अतिरिक्त कठोर उत्पाद अभिप्रेत है, जिसे खाद्य श्रेणी के मोम और पालीफिल्म से आलेपित किया जा सकेगा और जिसमें प्रोटीन/केसिन अनुपात दूध से अधिक नहीं होता है। चीज पूर्णतः या भागतः दुग्ध स्कंधन और/या गैर पर रेनेट क्रिया या अन्य उपयुक्त स्कंधन अधिकर्मा द्वारा दूध से प्राप्त किए गए उत्पादों और ऐसे स्कंधन के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से छैने का पानी निकालकर और/या दूध के स्कंधन के लिए प्रसंस्करण प्रक्रिया अंतर्वलित करके और/या दूध से प्राप्त किए गए ऐसे उत्पाद जो सदृश भौतिक, रासायनिक और इन्द्रिय गाही विशेषताओं सहित अंतिम उत्पाद देते हैं, अभिप्राप्त किया जाता है। उत्पाद में हानिरहित लेक्टिक अम्ल के स्टार्टर कल्चर और/या सुवास पैदा करने वाले जीवाणु और अन्य हानिरहित सूक्ष्म जीवों के कल्चर, सुरक्षित और उपयुक्त एन्जाइम तथा सोडियम क्लोराइड हो सकेंगे। यह चौकोर रूप में, स्लाइसों में, कटा हुआ, फांक क्रिया हुआ या कर्षक किया हुआ हो सकेगा।

(i) पक्व चीज कोई चीज है जो विनिर्माण के तुरंत पश्चात् उपभोग के लिए तैयार नहीं होता है अपितु इसे कुछ समय के लिए ऐसे तापमान और ऐसी अन्य अवस्थाओं में रखा जाना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत चीज में आवश्यक जैव-रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़े।

(ii) फफूदी पक्व चीज कोई पक्व चीज है जिसमें प्रथमतः अभिलाक्षणिक फफूंदवर्धन के परिवर्धन द्वारा चीज की आंतरिक और/या सतही पक्वता पूरी हो गई है।

(iii) अपक्व चीज, जिसमें ताजा चीज भी है, ऐसा चीज है जो विनिर्माण के थोड़े समय पश्चात् ही उपभोग के लिए तैयार होता है।

चीज और चीज की किस्मों में रोचक स्वाद और सुवास होगा और असुरक्षिकारक और दुर्गंध से मुक्त होगा।

इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' में अनुज्ञात खाद्य सहायक हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

परंतु खाद्य श्रेणी के मोम/या पालीफिल्म से आलेपित या कंफड़े में लपेटे गए चीज या चीज की किस्मों पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 4.4.5 (44) में यथा उपबोधित लेबल पर उचित घोषणा की होगी। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

उत्पाद	आर्द्रता	शुष्क आधार पर दुग्ध वसा
(1)	(2)	(3)
(i) कठोर संपीडित चीज	39.0 प्रतिशत से अनधिक	48.0 प्रतिशत से अन्यून
(ii) आंशिक कठोर चीज	45.0 प्रतिशत से अनधिक	40.0 प्रतिशत से अन्यून
(iii) आंशिक नरम चीज	52.0 प्रतिशत से अनधिक	45.0 प्रतिशत से अन्यून
(iv) नरम चीज	80.0 प्रतिशत से अनधिक	20.0 प्रतिशत से अन्यून
(v) अतिरिक्त कठोर चीज	36.0 प्रतिशत से अनधिक	32.0 प्रतिशत से अन्यून
(vi) मोजरेला चीज	60.0 प्रतिशत से अनधिक	35.0 प्रतिशत से अन्यून
(vii) पिज़ा चीज	54.0 प्रतिशत से अनधिक	35.0 प्रतिशत से अन्यून

2. "संसाधित चीज" से चीज की एक या अधिक किस्मों को उष्मा और पायसीकारकों की सहायता से पिघलाई, मिश्रण, द्रव्यीभूत और पायसीकरण करके अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें क्रीम, बटर, बटर आयल और अन्य दुग्ध उत्पाद, किंतु अंतिम उत्पाद में लेक्टोज अंश अधिकतम 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, और शर्कराओं के सिवाय खाद्य सामान्य नमक, सिरका/एसिटिक अम्ल, मसाले और सुवास और अन्य मौसम की वनस्पति तथा शर्करा उत्पाद की अभिलक्षणता के लिए उचित रूप से पकाए और तैयार किए गए अन्य स्वादवर्धक वस्तु और खाद्य बसतें इन मिलाए गए पदार्थों का भार शुष्क पदार्थ आधार पर अंतिम उत्पाद के कुल ठोसों के भार से 1/6 से अधिक न हो और हानिरहित जीवाणु और इन्जाइम के कल्चर हो सकेंगे। यह अरुचिकर और दुर्गंध से मुक्त रोचक स्वाद और गंध वाला होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य सहायक हो सकेंगे। यह परिशिष्ट

'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगा :-

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 47.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 40.0 प्रतिशत से अन्यून |

परंतु संसाधित चीज चिपलेटस (स्लाइस किया हुआ पैक चीज) में, जब उन्हें टिन से अन्य पैकेज में विक्रय किया जाए, 50.0 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी।

3. "संसाधित चीज प्रेड" से चीज की एक या अधिक किस्मों को उष्मा और पायसीकारकों की सहायता से पिसाई, मिश्रण, द्रव्यीभूत और पायसीकरण करके अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें क्रोम, बटर, आयल और अन्य डेरी उत्पाद, किंतु अंतिम उत्पाद में लैक्टोज की अधिकतम सीमा 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, नमक, सिरका, मसाले, गर्म मसाले और स्वादवर्धक वस्तु, प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट मिठासकारक अर्थात् सुक्रोज, डैक्सट्रोज, कार्न सीरप, कार्न सीरप टोस, मधु, माल्टोज, माल्ट सीरप और हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज और सुवास तथा उत्पाद की अभिलक्षणता के लिए उचित रूप से पकाए गए या अन्यथा तैयार किए गए खाद्य, बशर्ते इन मिलाए गए पदार्थों का शुष्क आधार पर भार अंतिम उत्पाद के कुल टोसों के भार के 1/6 से अधिक न हो, हानिरहित जीवाणु और इन्जाइम के कल्चर हो सकेंगे। यह असुरचिकर और दुर्गंध से मुक्त रोचक स्वाद और गंध युक्त होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 60.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 40.0 प्रतिशत से अन्यून |

4. चेद्वार चीज से गर्म/पास्तेरीकृत गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-जानवर रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइमों के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व कठोर चीज अभिप्रेत है। यह किसी श्रेणी के मोम से आलेपित या कपड़े के लपेटन या पॉली फिल्म से आवृत दृढ़ीकृत चौकोर रूप में होगा। इसका विन्यास मजबूत, और मोमी, हल्के पीले से नारंगी रंग में किसी गैस छिद्र रहित होगा। इसमें इन विनियमों और परिशिष्टों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 39.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 48.0 प्रतिशत से अन्यून |

5. डनबो चीज से ऊष्मित/पास्तेरीकृत गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-पशु रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व आंशिक कठोर चीज अभिप्रेत है। यह देखने में चिकना, मजबूत विन्यास और एकसमान पीले रंग का होगा और खाद्य श्रेणी के मोम से आलेपित या कपड़े की लपेटन या पॉलिफिल्म से आवृत किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य योज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 39.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 45.0 प्रतिशत से अन्यून |

6. ईडम चीज से ऊष्मित/पास्तेरीकृत गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-पशु रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व आंशिक कठोर चीज अभिप्रेत है। यह काटने के लिए उपयुक्त मजबूत विन्यास का, पीलापन रंग लिए हुए और कठोर पपड़ी का होगा जिसे खाद्य श्रेणी के मोम से आलेपित, कपड़े की लपेटन, पॉलीफिल्म या वनस्पति तेल से आवृत किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य योज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 46.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 40.0 प्रतिशत से अन्यून |

7. गौडा चीज से ऊष्मित/पास्तेरीकृत गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-पशु रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व आंशिक कठोर चीज अभिप्रेत है। यह काटने के

लिए उपयुक्त मजबूत विन्यास का, हल्के पीले से पीले रंग का और कठोर पपड़ी का होगा जिसे खाद्य श्रेणी के मोम से आलेपित, कपड़े की लपेटन, पॉलीफिल्म या वनस्पति तेल से आवृत किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- (i) आर्द्रता 43.0 प्रतिशत से अनधिक
(ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा 48.0 प्रतिशत से अन्यून

8. हवारती चीज से ऊष्मित/पास्तेरीकृत गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-पशु रनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व आंशिक कठोर चीज अभिप्रेत है। इसको काटने के लिए उपयुक्त मजबूत विन्यास, हल्का पीला रंग हो सकेगा और अर्ध नरम थोड़ी चिकनाई युक्त पपड़ी हो सकेगी जिसे खाद्य श्रेणी के मोम से आलेपित, कपड़े की लपेटन, पॉलीफिल्म या वनस्पति तेल से आवृत किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

अपेक्षाएँ	हवारती	30 प्रतिशत हवारती	60 प्रतिशत हवारती
(1)	(2)	(3)	(4)
आर्द्रता	48.0 प्रतिशत से अनधिक	53.0 प्रतिशत से अनधिक	60.0 प्रतिशत से अनधिक
शुष्क आधार पर दुग्ध वसा	45.0 प्रतिशत से अन्यून	30.0 प्रतिशत से अन्यून	60.0 प्रतिशत से अन्यून

9. तिलिस्टर से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानि रहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु, गैर-जानवर रनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त पक्व अल्प कठोर चीज अभिप्रेत है। इसको काटने के लिए उपयुक्त मजबूत विन्यास, आइवरी से पीला रंग और सुदृढ़ पपड़ी होगी जिस पर लाल और पीले समियर उत्पन्न करने वाले जीवाणु दर्शित हो सकते हैं या समियर हटाने के पश्चात् खाद्य श्रेणी के मोम से आलेपित या कपड़े के लपेटन या पालीफिल्म से आवृत किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

अपेक्षा	तिलिस्टर	30 प्रतिशत तिलिस्टर	60 प्रतिशत तिलिस्टर
(1)	(2)	(3)	(4)
आर्द्रता	47.0 प्रतिशत से अनधिक	53.0 प्रतिशत से अनधिक	39.0 प्रतिशत से अनधिक
शुष्क आधार पर दुग्ध वसा	45.0 प्रतिशत से अन्यून	30.0 प्रतिशत से अन्यून	60.0 प्रतिशत से अन्यून

10. काटेज चीज और क्रीमयुक्त काटेज चीज से गाय और/या भैंस के पास्तेरीकृत मखनिया दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण का हानिरहित लैक्टिक अम्ल जीवाणु के संवर्धन से, स्कंधन और अन्य उपयुक्त स्कंधन ईजाइम मिलाकर या मिलाए बिना, अभिप्राप्त नरम अपक्व चीज अभिप्रेत है। क्रीमयुक्त काटेज चीज ऐसा काटेज चीज है जिसमें क्रीम का पास्तेरीकृत क्रीम मिश्रण, मखनिया दूध, संघनित दूध, गैरवसायुक्त शुष्क दूध, शुष्क दुग्ध प्रोटीन, सोडियम/पोटाशियम/ कैल्सियम/ अमोनियम केसिनेट मिलाया गया है। इसका प्राकृतिक सफेद रंग लिए हुए नरम विन्यास होगा। इसमें मसाले, गर्म मसाले, स्वादवर्धक वस्तु और फलों का गूदा हो सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट में भी है, में अनुज्ञात खाद्य-सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- (i) आर्द्रता 80.0 प्रतिशत से अनधिक
(ii) दुग्ध वसा (क्रीमयुक्त काटेज चीज में) 4.0 प्रतिशत से अन्यून

11. क्रीम चीज (राहफ्रिसकासे) से गाय और/या भैंस या दोनों के सम्मिश्रित पास्तेरीकृत दूध और पास्तेरीकृत क्रीम के हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन के साथ स्कंधन से उपयुक्त स्कंधन इन्जाइम मिलाकर या मिलाए बिना अभिप्राप्त नरम अपक्व चीज अभिप्रेत है। इसका सफेद से हल्के क्रीम रंग का नरम चिकना विन्यास होगा। इसमें मसाले, गर्म मसाले, स्वादवर्धक वस्तु और फलों की गूदा हो सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित

सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 55.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) | 70.0 प्रतिशत से अन्यून |

12. कोलोमियर्स चीज से गाय और/या भैंस के दूध या दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन और अन्य गैर-पशु रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन इन्जाइम और फफूंद अभिलक्षण की किस्मों के स्कंधन से अभिप्राप्त नरम अपक्व चीज अभिप्रेत है। इसका नरम विन्यास और सफेद से क्रीम पीला रंग होगा और सतह पर नारंगी या लाल रंग होगा और सतह पर नारंगी या लाल रंग के फफूंद (माउल्ड) सहित सफेद फफूंद दर्शित हो सकते हैं। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 56.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) | 46.0 प्रतिशत से अन्यून |

13. कामेमबर्ट चीज से गाय और/या भैंस के दूध या दोनों के सम्मिश्रण के साथ हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन और पेनिसिलियम केसियाकोलम और बेक्टेरियम लाइनेन्स, गैर-पशु रेनेट या अन्य उपयुक्त स्कंधन इन्जाइम के स्कंधन द्वारा अभिप्राप्त पक्व नरम चीज अभिप्रेत है। यह सफेद माउल्ड (पेनिसिलियम के सियाकोलम) के साथ अनियमित नारंगी रंग के धब्बों (बेक्टेरियम लाइनेन्स) से आच्छादित समतल बेलनाकार आकार के चीज के रूप में हो सकता है। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

अपेक्षा	30.0 प्रतिशत कामेमबर्ट चीज	40.0 प्रतिशत कामेमबर्ट चीज	45.0 प्रतिशत कामेमबर्ट चीज	50.0 प्रतिशत कामेमबर्ट चीज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आर्द्रता	62.0 प्रतिशत से अनधिक	56.0 प्रतिशत से अनधिक	56.0 प्रतिशत से अनधिक	56.0 प्रतिशत से अनधिक
शुष्क आधार पर दुग्ध वसा	30.0 प्रतिशत से अन्यून	40.0 प्रतिशत से अन्यून	45.0 प्रतिशत से अन्यून	50.0 प्रतिशत से अन्यून

14. बराई चीज से गाय और/या भैंस के दूध या इनके सम्मिश्रण के साथ हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन और पेनिसिलियम केसियाकोलम और बेक्टेरियम लाइनेन्स, गैर-पशु रेनेट और अन्य उपयुक्त इन्जाइम के संवर्धन के स्कंधन से अभिप्राप्त नरम पक्व चीज अभिप्रेत है। यह सफेद से दुधिया पीले रंग में चिकने विन्यास का और पपड़ी (रिड) पर अनियमित नारंगी रंग के धब्बों (बेक्टेरियम लाइनेन्स) के साथ सफेद फफूंद की मौजूदगी (पेनिसिलियम) दर्शित करते हुए होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञात खाद्य योग्यक हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 56.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 40.0 प्रतिशत से अन्यून |

15. सेंट पॉलिन से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ गैर-पशु रेनेट, हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन या अन्य उपयुक्त इन्जाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त तैयार आंशिक कठोर चीज अभिप्रेत है। इसका मजबूत और लचकदार विन्यास के साथ सफेद से पीला रंग होगा और कठोर पपड़ी होगी जिसे खाद्य श्रेणी के मोम या पॉलीफिल्टम से आलेपित किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्यक हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 56.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) | 40.0 प्रतिशत से अन्यून |

16. सामसोई से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ गैर-पशु रनेट, हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन या अन्य उपयुक्त ईन्जाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त तैयार कठोर चीज अभिप्रेत है। यह काटने के लिए उपयुक्त एक मजबूत विन्यास के साथ पीले रंग में होगा और इसकी खाद्य श्रेणी के मोम या पालीफिल्म के साथ या इसके बिना एक पपड़ी (रिड) होगी। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

अपेक्षाएं	सामसोई	सामसोई 30 प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i) आर्द्रता	44.0 प्रतिशत से अनधिक	50.0 प्रतिशत से अनधिक
(ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा	45.0 प्रतिशत से अन्यून	45.0 प्रतिशत से अन्यून

17. इम्पेनटालेर से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ गैर-पशु रनेट, हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन या अन्य उपयुक्त ईन्जाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त गोल छिद्रों के साथ तैयार कठोर चीज अभिप्रेत है। इसमें तांबे के रूप में अभिव्यक्त क्यूपरिक संल्फेट हो सकेगा जो 15 एमजीएम/कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा। इसका हल्का पीला रंग और काटने के लिए उपयुक्त एक मजबूत विन्यास होगा तथा एक कठोर पपड़ी (रिड) हो सकेगी। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत और परिशिष्ट क भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 40.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 45.0 प्रतिशत से अन्यून |

18. प्रोवोलोन से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ गैर-पशु रनेट, हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन या अन्य उपयुक्त ईन्जाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त गोल छिद्रों के साथ तैयार पास्ता फिल्म चीज अभिप्रेत है। यह सफेद से हल्के पीले रंग में, रेशदार या चिकने विन्यास का, पपड़ी लिए हुए होगा, जिसे वनस्पति वसा/ तेल, खाद्य श्रेणी के मोम या पालीफिल्म से आच्छादित किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | |
| (क) अनस्माकड चीज | 47.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ख) स्माकड चीज | 45.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) शुष्क आधार पर दुग्ध वसा | 45.0 प्रतिशत से अन्यून |

19. अतिरिक्त कठोर ग्रेटिंग चीज से गाय और/या भैंस के दूध या इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ गैर-पशु रनेट, हानिरहित लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु के संवर्धन या अन्य उपयुक्त ईन्जाइम के स्कंधन से अभिप्राप्त तैयार चीज अभिप्रेत है। यह थोड़े से भंगुर विन्यास और अतिरिक्त कठोर पपड़ी (रिड) के साथ सफेद से हल्के दूधिया रंग का हो सकेगा जिसे वनस्पति तेल, खाद्य श्रेणी के मोम या पालीफिल्म से आच्छादित किया जा सकेगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट क भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| (i) आर्द्रता | 36.0 प्रतिशत से अनधिक |
| (ii) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) | 32.0 प्रतिशत से अन्यून |

2.1.7 दुग्ध आधारित डेजर्ट और कन्फैक्शन

1. आइसक्रीम, कुल्फी, चाकलेट आइसक्रीम या साफ्टी आइसक्रीम से (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त उत्पाद कहा गया है) ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो दूध और/या दुग्ध से व्युत्पन्न अन्य उत्पादों में अन्य पोषक मधुकारकों जैसे चीनी, डैक्सट्रोस, प्राक्टोज, ड्रव ग्लूकोज, शुष्क द्रव ग्लूकोज, माल्टोडेक्सट्रीन, उच्च माल्टोज कार्न सीरप, मधु, फल और फल उत्पाद, अंडे और अंडा उत्पाद, कॉफी,

क्रीका, अदरक और गरी को मिलाकर शीतलन द्वारा पाश्चुरीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसमें चाकलेट, और बेकरी उत्पाद जैसे केक या कुकीज आदि की अलग से परत और/या आवरण हो सकता है। यह उत्पाद शीतित कठोर या मृदुगाढ़ता तक शीतित हो सकता है। यह सुस्वादित जायकेदार और असुरूचिकारक तथा खटवास की गंध से मुक्त होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञेय खाद्य योज्यक अंतर्विष्ट हो सकते हैं। उक्त उत्पाद परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह उत्पाद निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात् :

अपेक्षाएं	आइसक्रीम	मध्य वसा वाली आइसक्रीम	कम वसा वाली आइसक्रीम
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल ठोस	36.0 प्रतिशत से अन्यून	30.0 प्रतिशत से अन्यून	26.0 प्रतिशत से अन्यून
भार या आयतन (ग्राम/ लीटर)	525 से अन्यून	475 से अन्यून	475 से अन्यून
दुग्ध वसा	10.0 प्रतिशत से अन्यून	2.5 प्रतिशत से अधिक किंतु 10.0 प्रतिशत से न्यून	2.5 प्रतिशत से अनधिक
दुग्ध प्रोटीन (एन : 6.38)	3.5 प्रतिशत से अन्यून	3.5 प्रतिशत से अन्यून	2.5 प्रतिशत से अन्यून

टिप्पण : उस दशा में जहां चाकलेट, केक या उसी प्रकार के खाद्य विलेपन, आधार या परत रूप में किसी उत्पाद का पृथक भाग है, वहां पर केवल आइसक्रीम वाला भाग ऊपर दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगा और आइसक्रीम का प्रकार लेबल पर स्पष्टतया स्पष्टित होगा अन्यथा आइसक्रीम के लिए मानक लागू होंगे।

2. शुष्कित आइसक्रीम मिश्रण/ शुष्कित शीतित मिष्ठान/कन्फेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) से किसी चूर्ण प्ररूप में ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो पूर्ण रूप से विहित मात्रा में पानी मिलाने पर संबंधित उत्पादों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद बन जाएगा, अर्थात् विनियम 2.1.7(1) के अधीन यथा विहित आइसक्रीम मध्यम वसा युक्त आइसक्रीम, कम वसा युक्त आइसक्रीम और इन विनियमों के विनियम 2.1.7(3) के अधीन यथा विहित शीतित कन्फेक्शन, मध्यम वसा युक्त कन्फेक्शन और कम वसा युक्त शीतित कन्फेक्शन, दोनों उत्पादों के लिए भार/मात्रा की अपेक्षाओं के सिवाय उक्त उत्पाद की आर्द्रता 4.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञेय खाद्य सहयोज्य हो सकेंगे। उत्पाद परिशिष्ट 'ख' में यथा विनिर्दिष्ट जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

3. शीतित मिष्ठान/शीतित कन्फेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) से ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो दुग्ध वसा और/या खाद्य वनस्पति तेलों और वसा जिसका संयुक्त गलनांक 37.0 डिग्री सें. से अधिक नहीं है और दुग्ध प्रोटीन एकल या मिश्रित/या वनस्पति प्रोटीन उत्पाद एकल या मिश्रित पोषक मधुकारक कर्मकों जैसे शर्करा, डेक्सट्रोस, फ्रैक्टोज, द्रव ग्लूकोज, शुष्क द्रव ग्लूकोज, माल्टोडैक्सट्रीन, उच्च माल्टोज, कार्न सीरप, मधु, फल और फल उत्पाद, अंडे और अंडा उत्पाद, कॉफी, कोका, अदरक और गरी को मिलाकर या उसके बगैर शीतलन द्वारा पाश्चुरीकरण से प्राप्त किया जाता है। उत्पाद में चाकलेट केक या कुकीज जैसे बेकरी उत्पाद भी हो सकेंगे जो अलग से परत और/या आवरण में हो सकता है। ये शीतित कठोर या मृदुगाढ़ता तक शीतित हो सकेंगे। इसमें कृत्रिम मधुकारक नहीं होंगे। उत्पाद सुस्वादित जायकेदार और असुरूचिकारक एवं खटवास की गंध से मुक्त होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञेय खाद्य सहयोज्य अंतर्विष्ट हो सकेंगे। उत्पाद परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा, अर्थात् :

अपेक्षाएं	शीतित मिष्ठान या शीतित कन्फेक्शन	मध्य वसा वाली शीतित मिष्ठान या शीतित कन्फेक्शन	कम वसा वाली शीतित मिष्ठान या शीतित कन्फेक्शन
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल ठोस	36.0 प्रतिशत से अन्यून	30.0 प्रतिशत से अन्यून	26.0 प्रतिशत से अन्यून
भार/मात्रा (ग्राम/ लीटर)	525 से अन्यून	475 से अन्यून	475 से अन्यून
कुल वसा	10.0 प्रतिशत से अन्यून	5.0 प्रतिशत से अधिक किंतु 10.0 प्रतिशत से न्यून	2.5 प्रतिशत से अनधिक
दुग्ध प्रोटीन (एन : 6.38)	3.5 प्रतिशत से अन्यून	3.5 प्रतिशत से अन्यून	2.5 प्रतिशत से अन्यून

टिप्पण : उस दशा में, जहां चाकलेट, केक या उसी प्रकार के खाद्य विलेपन, आधार या परत जो अलग से किसी उत्पाद का भाग है, वहां पर केवल शीतित मिष्ठान शीतित कन्फेक्शन वाला भाग ऊपर दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। शीतित मिष्ठान या शीतित कन्फेक्शन का प्रकार लेबल पर स्पष्टतया उपदर्शित होगा अन्यथा शीतित मिष्ठान या शीतित कन्फेक्शन के लिए मानक लागू होंगे और प्रत्येक शीति लस्सी/शीतित कन्फेक्शन के प्रत्येक पैकिंग पर विनियम 2.4.5(41) के अनुरूप लेबल पर उचित घोषणाएं होंगी।

4. मिल्क आइस या मिल्क लोली से ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) जो दूध और/या दूध से व्युत्पन्न अन्य उत्पादों से तैयार किए गए पास्तेरीकृत मिश्रण के साथ शर्करा, डेक्सट्रोज, फ्रेक्टोज, द्रव ग्लूकोज, शुष्क द्रव ग्लूकोज, माल्टोडेक्सट्रीन, उच्च माल्टोज, कार्न सीरप, मधु, फल और फल उत्पाद, अंडे और अंडा उत्पाद, कॉफी, कोका, चाकलेट, अदरक और गिरी जैसे मधुकारकों को मिलाकर या उसके बगैर शीतलन द्वारा पाश्चुरीकरण से अभिप्राप्त किया जाता है। उत्पाद में चाकलेट और केक या कुकीज जैसे बेकरी उत्पाद भी हो सकेंगे अलग से परत और/या आवरण में हो सकता है। ये शीतित कठोर या मुदुगाढता तक शीतित हो सकेंगे। इसमें कृत्रिम मधुकारक नहीं होंगे। उत्पाद स्वादिष्ट जायकेदार और असुरूचिकारक एवं खटवास की गंध से मुक्त होगा। इसमें परिशिष्ट क में अनुज्ञेय खाद्य योज्यक अंतर्विष्ट हो सकेंगे। उत्पाद परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा, अर्थात् :

(1) कुल ठोस (एम/एम)	20 प्रतिशत से अन्यून
(2) दुग्ध वसा (एम/एम)	2.2 प्रतिशत से अनधिक
(3) दुग्ध प्रोटीन (एन × 6.38)	3.5 प्रतिशत से अन्यून

5. खोया चाहे यह किसी भी नाम से विक्रय जाता है जैसे पिंडी, दानेदार धाप, मावा या कावा, से गाय या भैंस या बकरी या भेड़ के दूध या दुग्ध ठोस या उसके संयोजन को शीघ्र सुखाकर अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दुग्ध वसा का अंश भार के अनुसार परिष्कृत उत्पाद के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें साइट्रिक अम्ल भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत से अनधिक हो सकेगा। यह मिलाए गए स्टार्च, मिलाए गई शर्करा और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा।

2.1.8 वाष्पित/संघनित दूध और दुग्ध उत्पाद

1. वाष्पित दूध से गाय और/या भैंस के दूध से, उसे गर्म करके या किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया जिससे उसी संयोजन और विशेषताओं का उत्पाद बन जाता है, द्वारा आंशिक जल को निकालकर अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दूध के वसा और प्रोटीन अंश को दूध के संघटकों को इस प्रकार मिलाकर और/या व्यवहृत करके समायोजित किया जा सकेगा जिससे कि समायोजित किए जाने पर दूध के केसिन अनुपात के लिए छैने के पानी के प्रोटीन में परिवर्तन न हो सके। उत्पाद का जायकेदार स्वाद और सुवास होगा और असुरूचिकारकों तथा खटवास से मुक्त होगा। इसमें दूध के विजातीय पदार्थ नहीं होंगे। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' में अनुज्ञात खाद्य सहयोज्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगा :

उत्पाद	दुग्ध वसा	दुग्ध ठोस	दुग्ध ठोसों में दुग्ध प्रोटीन, वसा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) वाष्पित दूध	8.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	26.0 प्रतिशत (एमएम)	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(ii) वाष्पित भागतः मखनिया दूध	1.0 प्रतिशत (एम/एम) से अन्यून और 8.0 प्रतिशत (एम/एम) से अनधिक	20.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(iii) वाष्पित मखनिया दूध	1.0 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक	20.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(iv) वाष्पित उच्च वसायुक्त दूध	15.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	27.0 प्रतिशत (एमएम)	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून

2. मधुरित वाष्पित दूध से गाय और/या भैंस के दूध से आंशिक जल को निकालकर और शर्करा या अन्य शर्कराओं के साथ सुक्रोस के संयोजन को मिलाकर या किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया से, जिससे उसी मिश्रण और विशेषताओं का उत्पाद प्राप्त हो जाता है, अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दूध के वसा और/या प्रोटीन अंश दूध के संघटकों को इस प्रकार मिलाकर और/या व्यवहृत करके समायोजित किया जा सकेगा जिससे समायोजित किए जाने पर दूध के केसिन के लिए छैने के पानी के प्रोटीन में परिवर्तन न हो। यह जायकेदार स्वाद और स्वाद होगा तथा अरुचिकारक और खटास से मुक्त होगा। इसमें दूध के विजातीय पदार्थ से मुक्त होंगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगा :

उत्पाद	दुग्ध वसा	दुग्ध ठोस	दुग्ध ठोसों में दुग्ध प्रोटीन वसा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) मधुरित संघनित दूध	9.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	31.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(2) मधुरित संघनित मखनिया दूध	1.0 प्रतिशत एम/एम से अनधिक	26.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(3) मधुरित संघनित भागत: मखनिया दूध	3.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून किंतु 9.0 प्रतिशत एम/एम से अनधिक	28.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून
(4) मधुरित संघनित उच्च वसायुक्त दूध	16.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	30.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून

3. दुग्ध चूर्ण से गाय और/या भैंस के दूध से आंशिक जल को निकालकर अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दूध के वसा और प्रोटीन अंश को दूध के संघटकों को इस प्रकार निकालकर और/या व्यवहृत करके समायोजित किया जा सकेगा जिससे कि समायोजित किए जाने पर दूध के केसिन अनुपात के लिए छैने के पानी के प्रोटीन में परिवर्तन न हो सके। उत्पाद का एक समान रंग और जायकेदार स्वाद तथा सुवास होगा और असुरुचिकारक तथा खटास से मुक्त होगा। उत्पाद वनस्पति तेल/वसा, खनिज तेल, गाढ़ा करने वाले कर्मकों मिलाए गए सुवास और मधुकारक से मुक्त होगा। इसमें इन विनियमों जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 'क' भी है, में अनुज्ञात खाद्य सहयोग्य हो सकेंगे। यह परिशिष्ट 'ख' में विहित सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगा :

उत्पाद	आर्द्रता	दुग्ध वसा	दुग्ध में ठोस दुग्ध प्रोटीन, वसा नहीं	टाइट्रेबल अम्लता (मि.ली. 0.1 एनएन एओएच/ 10 ग्रा. ठोस, वसा नहीं)	विलेयता सूचकांक	शुष्क भार आधार पर कुल भस्म
(i) संपूर्ण दुग्ध चूर्ण	4.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	26.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	18.0 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक	2 मि.ली. से अधिक नहीं	7.3 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक
(ii) भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण	5.0 प्रतिशत से अनधिक	1.5 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून किंतु 26.0 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	18.0 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक	2 मि.ली. से अधिक नहीं	8.2 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक
(iii) मखनिया दुग्ध चूर्ण	5.0 प्रतिशत से अनधिक	1.5 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक	34.0 प्रतिशत (एमएम) से अन्यून	18.0 से अनधिक	2 मि.ली. से अधिक नहीं	8.2 प्रतिशत (एमएम) से अनधिक

2.1.9: शिशु पोषण के लिए आहार

1. शिशु दुग्ध आहार से गाय या भैंस के दूध या उसके समिश्रण को स्प्रे से सुखाकर तैयार किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दूध का विभिन्न दुग्ध ठोस, कार्बोहाईड्रेट जैसे सुक्रोस, डेक्सट्रोस तथा डैक्सट्रीन्स, माल्टोडेक्सट्रीन, माल्टोस और लैक्टोस, लवण जैसे फास्फेट तथा साइट्रेट, विटामिन ए, डी, ई, बी समूह, विटामिन सी और अन्य विटामिन तथा खनिज जैसे लोहा, तांबा, जिंक, और आयोडीन को आंशिक रूप से हटाकर/उनका प्रतिस्थापन करके रूपांतरण किया जा सकेगा। खनिज लवणों और विटामिन यौगिक के स्रोत को निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकेगा:-

1. कैल्सियम (सीए) - कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम क्लोराइड, कैल्सियम साइट्रेट, कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक;
2. फास्फोरस (पी) - कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक, पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
3. क्लोराइड (सीएल) - कैल्सियम क्लोराइड, कोलाइन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयोडाइज्ड;
4. लोहा (एफई) - फेरस साइट्रेट, फेरस लैक्टेट, फेरस सल्फेट, फेरिक पाइरोफास्फेट;
5. मैग्नीशियम (एमजी) - मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आक्साइड, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक;
6. सोडियम (एनए) - सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयोडाइज्ड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फास्फेट मोनोबेसिक;
7. पोटेशियम (के) - पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
8. तांबा (सीयू) - क्यूपरिक साइट्रेट, क्यूपरिक सल्फेट;
9. आयोडीन (आई) - पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड;
10. जिंक (जैडएन) - जिंक सल्फेट;
11. मैग्नीज (एमएन) - मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज सल्फेट;
12. विटामिन ए - रेटिनाइल ऐसिटेट, रेटिनाइल पाल्मिटेट, रेटिनाइल प्रोपियोनेट;
13. प्रोविटामिन ए - बेटा-करोटिन;
14. विटामिन डी - विटामिन डी₂ - इगॉकैल्सिफिरोल, विटामिन डी₃ - कोलीकैल्सिफिरोल, कोलीकैल्शिफिरोल - कोलेस्टिरोल;
15. विटामिन ई - डी-एल्फा-टोकोफिरोल, डीएल-एल्फा-टोकोफिरोल, डी-फा टोकोफिरायल, सक्साइनेट, डीएल-एल्फा-टोकोफिरायल सक्साइनेट;
16. थियामाइन (विटामिन बी₁) - थियामाइन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, थियामाइन मोनोनाइट्रेट;
17. रिबोफ्लेविन (विटामिन बी₂) - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5' -फास्फेट सोडियम;
18. नाइसिन - निकोटिनोमाइड, निकोटाइनिक एसिड;
19. विटामिन बी₆ - पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड;
20. बायोटिन (विटामिन एच) - डी-बायोटिन;
21. फोलासिन - फोलिक एसिड;
22. पेंटोथेनिक एसिड - कैल्सियम पेंटोथेनेट, पेन्थिथेनोल;
23. विटामिन बी₁₂ - साइनोकोबलामिन, हाइड्रोक्सीकोबलामिन;

24. विटामिन के - फाइटाइलमेनाक्वीनोन;
25. विटामिन सी - एसकोर्बिक एसिक, सोडियम एसकाबेट, कैल्सियम एसकाबेट, एसकाबाइल-6 पापीटेट;
26. कोलाइन - कोलाइन बाइटारटेट, कोलाइन क्लोराइड;
27. इन्सोसिटोल;
28. सेलिनियम - सोडियम सेलिनाइट।

उत्पाद में पिण्डक नहीं होंगे और बाहर से देखने पर एकसमान दिखाई देगा। यह स्टार्च और मिलाए गए प्रतिआक्सीकारक से मुक्त होगा। इसमें कोई गंदगी तथा बाह्य पदार्थ, परिरक्षक और मिलाए गए रंग और गंध तथा ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं होगी जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसका स्वाद विकृतगंधी नहीं होगा और उसमें कोई दुर्गंध नहीं होगी। इसमें खाद्य सहयोग्य अंतर्विष्ट नहीं होंगे।

यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात् -

1. आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	4.5
2. कुल दुग्ध प्रोटीन भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	12.00
3. कुल वसा, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	18.0
4. कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	8.5
5. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	0.1
6. विलेयता:	
अधिकतम विलेयता सूचक	2.0 मि. लि.
विलेयता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	98.5
7. विटामिन ए (रेटिनोल के रूप में) μ जी प्रति 100 ग्राम(से अन्यून)	350 μ जी
8. मिलाया गया विटामिन डी(कोलेकैल्सिफिरोल या इगॉकैल्सिफिरोल के रूप में अभिव्यक्त) μ जी प्रति 100 ग्राम(से अन्यून)	4.5 μ जी
9. विटामिन सी, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	35 मि. ग्रा.
10. थियामाइन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	185 μ जी
11. रिबोफ्लेविन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	275 μ जी
12. नियासिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1160 μ जी
13. पायरिडोक्सिन μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	160 μ जी
14. फोलिस अम्ल, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
15. पेंटोथेनिक अम्ल, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1.4 मि. ग्रा.
16. विटामिन बी12, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	0.7 μ जी
17. कोलाइन, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	32 मि. ग्रा.
18. विटामिन के, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	18 μ जी
19. बायोटिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	7.0 μ जी
20. सोडियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	90 मि. ग्रा.
21. पोटेशियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	370 मि. ग्रा.
22. क्लोराइड, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	250 मि. ग्रा.

23. कैल्सियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	230 मि. ग्रा.
24. फास्फोरस, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	115 मि. ग्रा.
25. मैग्नीशियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	22 मि. ग्रा.
26. लोहा, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	5.0 मि. ग्रा.
27. आयोडिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
28. तांबा, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	280 μ जी
29. जिंक, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) और (से अनधिक)	2.5 मि. ग्रा. 5.0 मि. ग्रा.
30. मँगनीज, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
31. सेलेनियम, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	14 μ जी
32. जीवाणु गणना, प्रति ग्राम (से अनधिक)	10,000
33. कोलीफोर्म गणना (अनुपस्थित में)	0.1 ग्राम
34. यीस्ट और माउल्ड गणना (अनुपस्थित में)	0.1 ग्राम
35. सालमोनेला और शिगोला (अनुपस्थित में)	25 ग्राम
36. ई. कोली (अनुपस्थित में)	0.1 ग्राम
37. स्टेफाइलोकोकस एरिसेस (अनुपस्थित में)	0.1 ग्राम

उत्पाद वायुरूद्ध मुहरबंद, साफ और नम्य आधानों में जिन्हें फिल्म या संयोजन या बोर्ड पेपर से बने किसी सबस्ट्रेट पालीथीलीन पॉलिस्टर, धात्विकीकृत फिल्म या एल्यूमिनियम फाइल से बनाया गया हो, इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उन्हें क्षय से बचाया जा सके।

इसे नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और कार्बन डाइ-आक्साइड के मिश्रण में पैक किया जा सकेगा।

2. शिशु फार्मूला से गाय या भैंस के दूध या उसके मिश्रण को स्प्रे या रोलर से सुखाकर तैयार किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। दूध के दुग्ध वसा को वनस्पति तेलों, जो बहु-संतृप्त वसीय अम्लों से युक्त हों और/या विभिन्न दुग्ध-ठोस द्वारा, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सुक्रोस, डेक्सट्रोस तथा डैक्सट्रीन्स/माल्टोडेक्सट्रीन, माल्टोस और लेक्टोस, लवण जैसे फास्फेट तथा साइट्रेट, विटामिन ए, डी, ई, बी और सी, समूह और अन्य विटामिनों खनिजों जैसे लोहा, तांबा, जिंक और आयोडीन तथा अन्य द्वारा आंशिक रूप से हटाकर/उनका प्रतिस्थापन करके उपांतरित किया जा सकेगा। ऐसे वनस्पति तेलों को जिनमें बहुसंतृप्त वसीय अम्ल अधिक न हों, आंशिक रूप से प्रतिस्थापित दुग्ध वसा में उस सीमा तक मिलाया जा सकेगा कि उत्पाद में भार के अनुसार कम से कम 12 प्रतिशत दुग्ध वसा हो और उत्पाद का न्यूनतम 1.398 ग्राम/100 ग्राम लोनॉलिट अंश हो।

उत्पाद में विटामिन ई कम से कम 0.70 आई. यू./100 कॅसीएल. होगा। उत्पाद में सूची में दिए गए विटामिनों और खनिजों के अतिरिक्त अन्य पोषणकारी तत्व अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें उस समय मिलाया जा सकेगा जब मानवीय दूध में सामान्यतः पाए जाने वाले पोषणकारी तत्व प्रदान करने के लिए अपेक्षित हो, अर्थात् -

1. केरोटिनेस	0.25 मि. ग्रा./लि. से अन्यून
2. फ्लूओराइन	0.17 मि. ग्रा./लि. से अन्यून
3. एमिनो अम्ल	9 मि. ग्रा. /लि. से अन्यून (एमिनो अम्ल के केवल एल फार्मर्स प्रयोग किए जा सकेंगे।)
4. गैर-प्रोटीन नाइट्रोजन	173 मि. ग्रा./लि. से अन्यून
5. न्यूक्लियोटाइड्स	11.7 मि. ग्रा./लि. से अन्यून
6. कार्नीटाइन	11.27 यूजी/लि. से अन्यून

7.	लेक्टलब्यूमिन	1.4 ग्रा./लि. से अन्यून
8.	लेक्टोफेरिन	0.27 ग्रा./लि. से अन्यून
9.	लाइसोजाइम	0.8 ग्रा./लि. से अन्यून
10.	फ्यूकोस	1.3 ग्रा./लि. से अन्यून
11.	ग्लूकोसामाइन	0.7 ग्रा./लि. से अन्यून
12.	इनोसिटोल	0.39 ग्रा./लि. से अन्यून
13.	साइट्रिक अम्ल	0.35 ग्रा./लि. से अन्यून
14.	कोलेस्टिरोल	88 मि.ग्रा./लि. से अन्यून
15.	लिपिड फास्फोरस	7 मि. ग्रा./लि. से अन्यून
16.	प्रोस्टाग्लेनडिन्स	150 मि. ग्रा./लि. पीजीई से अन्यून 400 मि. ग्रा./लि. पीजीएफ से अन्यून

जब इनमें से कोई पोषक मिलाया जाता है, तो इन मिलाए गए पोषकों की मात्रा की लेबल पर घोषणा की जाएगी और यह उल्लिखित मात्रा से अन्यून नहीं होगी। इसमें मध्यम श्रृंखला के ट्राईग्लिसराइड्स, टोराइन, मोलीडेनम और क्रोमियम अंतर्विष्ट हो सकेंगे।

खनिज लवण और विटामिन मिश्रण निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकेगा -

1. कैल्सियम (सीए) - कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम क्लोराइड, कैल्सियम साइट्रेट, कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक;
2. फास्फोरस (पी) - कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक, पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
3. क्लोराइड (सीएल) - कैल्सियम क्लोराइड, कोलाइन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयोडाइज्ड;
4. लोहा (एफई) - फेरियस साइट्रेट, फेरियस लक्टेट, फेरियस सल्फेट, फेरिक पाईरोफास्फेट;
5. मैग्नीशियम (एमजी) - मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आक्साइड, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक;
6. सोडियम (एनए) - सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयोडाइज्ड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फास्फेट मोनोबेसिक;
7. पोटेशियम (के) - पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
8. तांबा (सीयू) - क्यूपरिक साइट्रेट, क्यूपरिक सल्फेट;
9. आयोडीन (आई) - पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड;
10. जिंक (ज़ेडएन) - जिंक सल्फेट;
11. मैंगनीज (एमएन का स्रोत) - मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज सल्फेट;

विटामिन

1. विटामिन ए - रेटिनाइल एसिटेट, रेटिनाइल पाल्मिटेट, रेटिनाइल प्रोपायोनैट;
2. प्रोविटामिन ए - बेटा-करोटिन;
3. विटामिन डी - विटामिन डी₂ - इर्गोकैल्शिफिरोल, विटामिन डी₃ - कोलीकैल्शिफिरोल, कोलीकैल्शिफिरोल - कोलेस्टिरोल;
4. विटामिन ई - डी-एल्फा-टोकोफिरोल, डीएल-एल्फा-टोकोफिरोल, डी-एल्फा टोकोफिरायल, सक्साइनेट, डीएल-एल्फा-टोकोफिरायल सक्साइनेट;

5. थायामाइन (विटामिन बी₁) - थियामाइन क्लोराइड हाईड्रोक्लोराइड, थियामाइन मोनोनाइट्रेट;
6. रिबोफ्लेविन (विटामिन बी₂) - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5' - फास्फेट सोडियम;
7. नाइसिन - निकोटिनोमाइड, निकोटाइनिक एसिड;
8. विटामिन बी₆ - पाइरिडोक्सिन हाईड्रोक्लोराइड;
9. बायोटिन (विटामिन एच) - डी-बायोटिन;
10. फोलासिन - फोलिक एसिड;
11. पैंटोथेनिक एसिड - कैल्सियम पैंटोथेनेट, पैंथिनोल;
12. विटामिन बी₁₂ - साइनोकोबलामिन, हाईड्रोक्सीकोबलामिन;
13. विटामिन के - फाइटाइलमेनाक्वीनोन;
14. विटामिन सी - एसकोबिक एसिड, सोडियम एसकाबेट, कैल्सियम एसकाबेट, एसकार्बाइल-6 पामीटेट;
15. कोलाइन - कोलाइन बाइटारट्रेट, कोलाइन क्लोराइड;
16. इन्सोसिटोल;
17. सेलिनियम - सोडियम सेलिनाइट।

उत्पाद में पिण्डक नहीं होंगे और बाहर से देखने पर एकसमान दिखाई देगा। यह मिलाए गए स्टार्च, मिलाए गए रंग और मिलाए गए सुवास से मुक्त होगा। इसमें इसका स्वाद विकृतगंधी नहीं होगा और उसमें कोई दुर्गंध नहीं होगी।

इसमें नीचे सूची में दिए गए आहार सहयोग्य हो सकेंगे, -

आहार सहयोग्य	पीने के लिए तैयार उत्पाद में 100 मि. लि. में अधिकतम स्तर
पीएच-समायोजक अभिकर्मक	
सोडियम हाइड्रोक्साइड	
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित और सभी प्रकार के
सोडियम कार्बोनेट	शिशु फार्मूले में सोडियम तथा पोटेशियम के लिए
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड	सीमा के भीतर होंगे
पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	
पोटाशियम कार्बोनेट	
कैल्सियम हाइड्रोक्साइड	
सोडियम साइट्रेट	
पोटाशियम साइट्रेट	
एल(+) लैक्टिक अम्ल उत्पाद	सभी प्रकार के शिशु फार्मूले में अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित
संवर्धन, साइट्रिक अम्ल	
एंटीआक्सीडेंट्स	सभी प्रकार के शिशु फार्मूले में 1 मि.ग्रा.
मिश्रित टोकोफेरोल्स सांद्रता और एल-एसकार्बाइल पामीटेट	
मोनो और डाइग्लिसिराइड्स	0.4 ग्राम

यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात्

1. आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक) 4.5
2. कुल दुग्ध प्रोटीन भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) और (से अनधिक) 10.0 16.0

3.	कुल वसा, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) दुग्ध वसा, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) लिनोलिएट प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	18.0 12.0 1. 398 ग्राम
4.	कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	8.5
5.	तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	0.1
6.	विलेयता: अधिकतम विलेयता सूचक	2.0 मि. लि.
	विलेयता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	98.5
7.	विटामिन ए (रेटिनोल के रूप में) μ जी प्रति 100 ग्राम(से अन्यून)	350 μ जी
8.	मिलाया गया विटामिन डी (कोलेकैल्सिफिरोल या इर्गोकैल्सिफिरोल के रूप में अभिव्यक्त) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	4.5 μ जी
9.	विटामिन सी, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	35 मि.ग्रा.
10.	थियामाइन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	185 μ जी
11.	रिबोफ्लेविन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	275 μ जी
12.	नियासिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1160 μ जी
13.	पायरिडोक्सिन μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	160 μ जी
14.	फोलिक अम्ल, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
15.	पेंटोथेनिक अम्ल, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1.4 मि. ग्रा.
16.	विटामिन बी12, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	0.7 μ जी
17.	कोलाइन, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	32 मि. ग्रा.
18.	विटामिन के, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	18 μ जी
19.	बायोटिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	7.0 μ जी
20.	विटामिन ई (ए.टोकोफिरोल मिश्रण के रूप में) आई.यू. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	3.15 आई.यू.
21.	सोडियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	90 मि.ग्रा.
22.	पोटेशियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	370 मि.ग्रा.
23.	क्लोराइड, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	250 मि.ग्रा.
24.	कैल्शियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	230 मि.ग्रा.
25.	फास्फोरस, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	115 मि.ग्रा.
26.	मैग्निशियम, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	22 मि.ग्रा.
27.	लोहा, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	5.0 मि.ग्रा.
28.	आयोडीन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
29.	तांबा, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	280 μ जी
30.	जिंक, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) और (से अनधिक)	2.5 मि.ग्रा. 5.0 मि.ग्रा.
31.	मैंगनीज, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी

32.	सेलेनियम, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	14 μ जी
33.	जीवाणु गणना, प्रति ग्राम (से अनधिक)	10,000
34.	कोलीफोर्म गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
35.	यीस्ट और माउल्ड गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
36.	सालमोनेला और शिगैला (में अनुपस्थित)	25 ग्राम
37.	ई. कोली (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
38.	स्टेफाइलोकोकस एरिसेस (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम

समय-पूर्व/जन्म के समय कम वजन वाले शिशु के लिए दुग्ध प्रतिस्थापक-

परंतु समय-पूर्व/जन्म के समय कम वजन वाले शिशु के लिए दुग्ध प्रतिस्थापक ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाएं भी पूर्ण करेंगे:-

1. प्रोटीन प्रति 100 के.कैल 2.25 - 2.75 ग्राम तक होगा।
2. खनिज अंश प्रति 100 के.कैल 0.5 ग्राम से कम नहीं होगा। कैल्सियम: फास्फोरस का अनुपात 2:1 होगा। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का मिश्रण 40 मिली प्रति लीटर समतुल्य से कम नहीं होगा।
3. छाछ - केसिन अनुपात 60:40 होगा। अनिवार्य एमिनो अम्ल में तौराइन, क्रिसटाइन, टाइरोसाइन और हिस्टिडाइन भी सम्मिलित होने चाहिए।

लेक्टोज मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प

लेक्टोज और सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प

सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प

परन्तु लेक्टोज मुक्त या लेक्टोज और सुक्रोस मुक्त या सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प मानक में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाएं भी पूरी करेंगे, परंतु इन तीन उत्पादों में दुग्ध वसा और लेसीथीन के स्थान पर खाद्य वनस्पति तेल का पायसीकारक के रूप में उपयोग किया जा सकेगा:-

1. सोया प्रोटीन आधारित, लेक्टोज मुक्त फार्मूला में ग्लूकोज, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रीन/माल्टोडेक्सट्रीन, माल्टोज और/या सुक्रोस के रूप में सोया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होंगे;
2. लेक्टोज-मुक्त गाय/भैंस के दुग्ध आधारित फार्मूलों में ग्लूकोज, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रीन/माल्टोडेक्सट्रीन, माल्टोज और सुक्रोस के रूप में कार्बोहाइड्रेट होंगे।

हाइपोएलरजेनिक शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक

परन्तु हाइपोएलरजेनिक शिशु दुग्ध अनुकल्प, मानक में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षा भी पूरी करेगा:-

1. प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड छाछ या दुग्ध सत्त्व होगा; या,
2. एमिनो अम्लों से 100 प्रतिशत मुक्त प्रोटीन के स्रोत के रूप में होगा;

उत्पाद वायुरूद्ध मुहरबंद, साफ और नम्य आधानों में जिन्हें फिल्म या संयोजन या बोर्ड पेपर से बने किसी सबस्ट्रेट पालीथीलीन पोलिस्टर, धात्विकीकृत फिल्म या एल्यूमिनियम फ्लायल से बनाया गया हो, इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उन्हें क्षय से बचाया जा सके। इसे नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और कार्बन के मिश्रण में पैक किया जा सकेगा।

3. दुग्ध-अनाज आधारित परिपूरक खाद्य-

दुग्ध-अनाज आधारित परिपूरक खाद्य, जिसे सामान्यतः अपस्तन्य खाद्य या अनुपूरक खाद्य कहा जाता है, से दुग्ध, खाद्यान्नों और/या फली(दालें), सोयाबीन, अनाजों, गरी और खाद्य तेल बीजों पर आधारित ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसे न्यून आर्द्रता अंश पर प्रसंस्कृत और इस प्रकार विखण्डित किया जाए जिससे कि यह जल, दूध और अन्य उपयुक्त साधन के साथ विलेय हो जाए।

दुग्ध-अनाज आधारित परिपूरक खाद्य का आशय छह मास की आयु के पश्चात् शिशुओं की खुराक की अनुपूर्ति करना है।

दुग्ध-अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य दूध, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों, दालों, सोयाबीन, अनाजों, गरी और खाद्य तेल बीजों से प्रसंस्करण के पश्चात् अभिप्राप्त किए जाते हैं। इसमें खाद्य वनस्पति तेल, दुग्ध ठोस, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सुक्रोस, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रीन्स/माल्टोडेक्ट्रीन, माल्टोस और लेक्टोज, कैल्सियम लवण, फास्फेट और साइट्रेट और पोषण के हिसाब से महत्वपूर्ण अन्य खनिज और विटामिन अंतर्विष्ट हो सकेंगे। इसमें उत्पाद के भार के आधार पर न्यूनतम 10 प्रतिशत दुग्ध प्रोटीन होगा। इसमें भार के आधार पर न्यूनतम 5 प्रतिशत दुग्ध वसा भी होगी। इसमें अवसीय अम्ल लिए हुए हाईड्रोजनीकृत वसा नहीं होगी। इसमें फंगल एल्फा एमीलेस, फल और शाक, अंडा और अंडा उत्पाद भार के आधार पर अधिकतम 0.025 प्रतिशत की सीमा तक अंतर्विष्ट हो सकेंगे। इसमें एमिनो अम्ल जैसे लाइसिन, मेथियोनाइन, टोराइन, कार्निटाइन आदि सम्मिलित होंगे।

विटामिन मिश्रण और खनिज लवण के स्रोत निम्नलिखित में से उपयोग किए जा सकेंगे,-

1. कैल्सियम (सीए) - कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक, कैल्सियम सल्फेट;
2. फास्फोरस (पी) - कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक;
3. क्लोराइड (सीएल) - सोडियम क्लोराइड;
4. लोहा (एफई) - लोहा कम की गई हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक लोहा;
5. मैग्नीशियम (एमजी) - मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आक्साइड, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक;
6. सोडियम (एनए) - सोडियम क्लोराइड;
7. जिंक (जैडएन) - जिंक सल्फेट;

विटामिन

1. विटामिन ए - रेटिनाइल ऐसिटेट, रेटिनाइल पाल्मीटेट, रेटिनाइल प्रोपायोनेट;
2. प्रोविटामिन ए - बेटा-करोटिन;
3. विटामिन डी - विटामिन डी₂ - इर्गोकैल्सिफिरोल, विटामिन डी₃ - कोलीकैल्सिफिरोल, कोलीकैल्सिफिरोल - कोलेस्टिरोल;
4. विटामिन ई - डी-एल्फा-टोकोफिरोल, डीएल-एल्फा-टोकोफिरोल, डी-एल्फा टोकोफिरायल, सक्साइनेट, डीएल-एल्फा-टोकोफिरायल सक्साइनेट;
5. थायामाइन (विटामिन बी₁) - थियामाइन क्लोराइड हाईड्रोक्लोराइड, थियामाइन मोनोनाइट्रेट;
6. रिबोफ्लेविन (विटामिन बी₂) - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5' - फास्फेट सोडियम;
7. नाइसिन - निकोटिनोमाइड, निकोटाइनिक एसिड;
8. विटामिन बी₆ - पाइरिडोक्सिन हाईड्रोक्लोराइड;
9. बायोटिन (विटामिन एच) - डी-बायोटिन;
10. फोलासिन - फोलिक एसिड;
11. पेंटोथेनिक एसिड - कैल्सियम पेंटोथेनेट, पेन्थिनोल;
12. विटामिन बी₁₂ - साइनोकोबलामिन, हाईड्रोक्सीकोबलामिन;
13. विटामिन के - फाइटिलमेनाक्वीनोन;
14. विटामिन सी - एसकोर्बिक एसिड, सोडियम एसकार्बेट, कैल्सियम एसकार्बेट, एसकार्बाइल-6 पामीटेट;
15. कोलाइन - कोलाइन बाइटारट्रेट, कोलाइन क्लोराइड;
16. इन्सोसिटोल;
17. सेलिनियम - सोडियम सेलिनाइट।

यह चूर्ण, छोटे कणों या पलेक के रूप में पिण्डकों से मुक्त होगा और देखने में एक जैसा होगा।

यह गन्ध और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा और इसमें परिरक्षी और भिल्लय गूँ रंग तथा सुवास से मुक्त होगा। यह ऐसी सामग्री से मुक्त होगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।

इसमें निम्नलिखित योजक अंतर्भूत हो सकेंगे, -

पावसीकारक	सुखे भार के आधार पर उत्पाद के 100 ग्राम में अधिकतम स्तर
लेसिथिन	1.5 ग्राम
भोने और डिग्लिसिटाइड्स	1.5 ग्राम
समायोजन कारक सोडियम हाईड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम साइट्रेट पोटेशियम हाईड्रोजन कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम साइट्रेट सोडियम हाईड्रोक्साइड सोडियम कैल्सियम हाईड्रोक्साइड पोटेशियम हाईड्रोक्साइड एल (+) लेक्टिक अम्ल साइट्रिक अम्ल	सोडियम के लिए सीमा के भीतर अच्छी विनिर्माण परिणती द्वारा सीमित होगा
प्रतिआक्सीकारक	
मिश्रित टोकोफिरोल्स सांद्रता	300 मि. ग्र./कि.ग्र. वसा, एकल या संयोजन में
α टोकोफिरोल	
एल-एसकारबायल पाल्मिटेट	200 मि. ग्र./कि.ग्र. वसा

यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात् -

1. आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक) 5.0
2. कुल प्रोटीन भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) 15.0
3. कुल वसा, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) 7.5
4. कुल कार्बोहाइड्रेट, भार के आधार पर (से अन्यून) 55.0
5. कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक) 5.0
6. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक) 0.1
7. भार के आधार पर अपरिष्कृत रेशा (शुष्क आधार पर) (से अनधिक) 1.0
8. विटामिन ए (रेटिनॉल के रूप में) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 350 μ जी
9. मिलाया गया विटामिन डी (कोलेकैल्सिफिरोल या इगोकेल्सिफिरोल के रूप में अभिव्यक्त) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 5.0 μ जी
10. विटामिन सी, मि.ग्र. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 25 मि. ग्र.
11. थियामाइन (हाईड्रोक्लोराइड के रूप में), मि.ग्र. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 0.5 मि. ग्र.
12. रिबोफ्लेविन, मि.ग्र. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 0.3 मि. ग्र.
13. नियासिन, मि.ग्र. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) 3.0 मि. ग्र.

14. फॉस्फोरस अम्ल, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
15. स्वोहा, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	5.0 मि. ग्रा.
16. जिंक, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) और (से अनधिक)	2.5 मि. ग्रा. 5.0 मि. ग्रा.
17. जीवाणु गणना, प्रति ग्राम (से अनधिक)	10,000
18. कोलीफॉर्म गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
19. यीस्ट और माउल्ड गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
20. सालमोनेला और शिगेला (में अनुपस्थित)	25 ग्राम
21. ई. कोली (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
22. स्टेफाइलोकोकस एरिसेस (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम

यह वायुरूद्ध मुहरबंद, साफ और मजबूत आधानों में या नम्य पैको में जिन्हें फिल्म या संयोजन या बोर्ड पेपर से बने किसी सब-स्ट्रेट, पालीथिलीन, पोलिस्टर धात्विकृत फिल्म या एल्यूमिनियम फाइल से बनाया हो, इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उन्हें क्षय से बचाया जा सके।

4. प्रसंस्कृत अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य जिसे सामान्यतः अपस्तन्य खाद्य या अनुपूरक खाद्य कहा जाता है, से खाद्यानों और/या फली(दालों), सोयाबीन, अनाजों, गरी और खाद्य तेल बीजों पर आधारित ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसे न्यून आर्द्रता अंश पर प्रसंस्कृत और इस प्रकार विखण्डित किया जाए जिससे कि यह जल, दूध और अन्य उपयुक्त साधन के साथ विलेय हो जाए।

दुग्ध-अनाज आधारित परिपूरक खाद्य का आशय छह मास की आयु के पश्चात् और दो वर्ष की आयु तक के शिशुओं की खुराक की अनुपूर्ति करना है।

दुग्ध-अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य अनेक प्रकार के खाद्यानों, दालों, सोयाबीन, अनाजों, गरी और खाद्य तेल बीजों से प्रसंस्करण के पश्चात् अभिप्राप्त किए जाते हैं। इसमें कुटे-पीसे अनाज और फली का संयोजन 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा। जहां उत्पाद का आशय उपभोग से पूर्व जल में मिश्रित करने का हो, वहां प्रोटीन अंश शुष्क भार के अनुसार 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा और पी.ई.आर. दुग्ध सत्त्व के 70 प्रतिशत से कम नहीं होगा। उत्पादों का सोडियम अंश खाने के लिए तैयार उत्पाद के 100 मि. ग्रा./100 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

उत्पादों में अवसीय अम्लों से अंतर्विष्ट हाइड्रोजनीकृत वसाओं को नहीं मिलाया जाएगा। इसमें निम्नलिखित संघटक भी हो सकेंगे - प्रोटीन सांद्रता, अनिवार्य एमिनो अम्ल (एमिनो अम्लों के केवल प्राकृतिक एल प्ररुप ही उपयोग किए जाएंगे), आयोडीनयुक्त नमक, दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडे, खाद्य वनस्पति तेल और वसा, फल और शाक, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोस, डेक्सट्रोस, डैक्सट्रीन, माल्टोस, मधु, कार्न सीरप, माल्ट, आलू।

विटामिन मिश्रण और खनिज लवण के स्रोत निम्नलिखित में से उपयोग किए जा सकेंगे,-

1. कैल्सियम (सीए) - कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम फास्फेट ट्राइबेसिक, कैल्सियम सल्फेट;
2. फास्फोरस (पी) - कैल्सियम फास्फेट ट्राइबेसिक, फास्फोरिक अम्ल;
3. क्लोराइड (सीएल) - सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल;
4. लोहा (एफई) - लोहा कम की गई हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक लोहा;
5. सोडियम (एनए) - सोडियम क्लोराइड;
6. जिंक (जैडएन) - जिंक एसिटेट, जिंक क्लोराइड, जिंक आक्साइड, जिंक सल्फेट;

विटामिन

1. विटामिन ए - रेतिनाइल एसिटेट, रेतिनाइल पाल्मीटेट, रेतिनाइल प्रोपायोनेट;
2. प्रोविटामिन ए - बेटा-करोटिन;
3. विटामिन डी - विटामिन डी₂ - इर्गोकैल्सिफिरोल, विटामिन डी₃ - कोलीकैल्सिफिरोल, कोलीकैल्सिफिरोल - कोलेस्टिरोल;

4. विटामिन ई - डी-एल्फा-टोकोफिरोल, डीएल-एल्फा-टोकोफिरोल, डी-एल्फा टोकोफिरायल, सक्साइनेट, डीएल-एल्फा-टोकोफिरायल सक्साइनेट;
5. थायामाइन (विटामिन बी₁) - थियामाइन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, थियामाइन मोनोनाइट्रेट;
6. रिबोफ्लेविन (विटामिन बी₂) - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5' - फास्फेट सोडियम;
7. नाइसिन - निकोटिनोमाइड, निकोटाइनिक एसिड;
8. विटामिन बी₆ - पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड;
9. बायोटिन (विटामिन एच) - डी-बायोटिन;
10. फोलासिन - फोलिक एसिड;
11. पैंटोथेनिक एसिड - कैल्सियम पैंटोथेनेट, पेन्थिनोल;
12. विटामिन बी₁₂ - साइनोकोबलामिन, हाइड्रोक्सीकोबलामिन;
13. विटामिन के - फाइटाइलमेनाक्वीनोन;
14. विटामिन सी - एसकोर्बिक एसिड, सोडियम एसकार्बेट, कैल्सियम एसकार्बेट, एसकार्बाइल-6 पामीटेट;
15. कोलाइन - कोलाइन बाइटारटेट, कोलाइन क्लोराइड;
16. इन्सोसिटोल;
17. सेलिनियम - सोडियम सेलिनैट।

यह चूर्ण, छोटे कणों या फ्लेक के रूप में पिण्डकों से मुक्त होगा और देखने में एक जैसा होगा।

अनुकल्प संघटकों सहित सभी संघटक साफ, सुरक्षित, उपयुक्त और अच्छी क्वालिटी के होंगे। परिरक्षी, मिलाए गए रंग और सुवास से मुक्त होगा।

इसमें निम्नलिखित आहार सहयोज्य हो सकेंगे, -

आहार सहयोज्य का नाम पायसीकारक	शुष्क भार के आधार पर उत्पाद के 100 ग्राम में अधिकतम स्तर
लेसिथिन	1.5 ग्राम
मोनो और डिग्लिसिराइड्स	1.5 ग्राम
पोएच समायोजन कारक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट एल (v) लैक्टिक अम्ल साइट्रिक अम्ल	सोडियम के लिए सीमा के भीतर अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित 1.5 ग्राम 2.5 ग्राम
प्रतिआक्सीकारक मिश्रित टोकोफिरोल्स सांद्रता एल्फा-टोकोफिरोल	300 मि. ग्रा./कि. ग्रा. वसा, एकल या संयोजन में
एल-एसकारबायल पाल्मिटेट	200 मि. ग्रा./कि. ग्रा. वसा
एल-एसकोर्बिक अम्ल और इसके सोडियम और पोटेशियम लवण	50 मि. ग्रा., एसकोर्बिक अम्ल के रूप में अभिव्यक्त और सोडियम के लिए सीमा के भीतर
माल्ट कार्बोहाइड्रेट्स	अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित
किण्वीकारक	
अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित

यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा, अर्थात् -

1.	आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	4.0
2.	कुल प्रोटीन भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	15.0
3.	कुल कार्बोहाईड्रेट, भार के आधार पर (से अन्यून)	55.0
4.	कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	5.0
5.	तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	0.1
6.	भार के आधार पर अपरिष्कृत रेशा (शुष्क आधार पर) (से अनधिक)	1.0
7.	विटामिन ए (रेटिनोल के रूप में) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	350 μ जी
8.	मिलाया गया विटामिन डी (कोलेकैल्सिफिरोल या इर्गोकैल्सिफिरोल के रूप में अभिव्यक्त) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	5.0 μ जी
9.	विटामिन सी, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	25 मि. ग्रा.
10.	थियामाइन (हाइड्रोक्लोराइड के रूप में), मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	0.5 मि. ग्रा.
11.	रिबोफ्लेविन, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	0.3 मि. ग्रा.
12.	नियासिन, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	3.0 मि. ग्रा.
13.	फोलिस अम्ल, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20.0 μ जी
14.	लोहा, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	5.0 मि. ग्रा.
15.	ज़िंक, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून) और (से अनधिक)	2.5 मि. ग्रा. 5.0 मि. ग्रा.
16.	जीवणु गणना, प्रति ग्राम (से अनधिक)	10,000
17.	कोलीफोर्म गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
18.	बीस्ट और माउल्ड गणना (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
19.	सालमोनेला और शिगैला (में अनुपस्थित)	25 ग्राम
20.	ई. कोली (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम
21.	स्ट्रेफ्टोकोकस एरिसेस (में अनुपस्थित)	0.1 ग्राम

यह वायुबद्ध मुहरबंद, साफ और मजबूत आधानों में या नम्य पैको में जिन्हें फिल्म या संयोजन या बोर्ड पेपर से बने किसी सब-स्ट्रेट, पालीथिलीन, पोलिस्टर धात्विकृत फिल्म या एल्युमिनियम फाइल से बनाया हो, इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उन्हें क्षय से बचाया जा सके।

5. फालो-अप फार्मूला - प्रतिपूरक खाद्य से गाय या भैंस या इनके मिश्रण को घे से सुखाकर तैयार किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें शाक प्रोटीन अंतर्विष्ट हो सकेंगे। दूध आधारित फालो-अप फार्मूला नीचे उल्लिखित संघटकों से तैयार किया जाएगा सिवाय इसके कि प्रोटीन की न्यूनतम 3 ग्राम प्रति 100 उपलब्ध कैलोरी (या 0.7 ग्राम प्रति 100 किलोजूल्स) इस प्रकार संपूर्ण या मखनिया दूध से, या ऐसे अल्प उपंतरण के साथ जिससे दूध के विटामिन और खनिज अंश सारभूत रूप से क्षीण न होते हों और जो कुल प्रोटीन का न्यूनतम 90 प्रतिशत हो, से व्युत्पन्न की जाएगी।

छह मास की आयु के पश्चात् के और दो वर्ष की आयु तक के शिशुओं के लिए प्रतिपूरक खुराक के द्रव भाग के रूप में उपयोग के लिए फालो-अप फार्मूला जब उपयोग के लिए निदेशों के अनुसार तैयार किया जाए, तो उपभोग के लिए तैयार खाद्य के 100 मि.ली. में कम से कम 60 के.कैल(या 250 केजे) और अधिक से अधिक 85 के.कैल (या 355 केजे) होगा।

फालो-अप फार्मूला में नीचे उपदर्शित निम्नलिखित पोषणकारी तत्व होंगे -

- (1) प्रोटीन - 3.0 ग्राम प्रति/100 उपलब्ध कैलोरी (या 0.7 ग्राम/100 उपलब्ध किलोजूल) से अन्यून
5.5 ग्राम प्रति/100 उपलब्ध कैलोरी (या 1.3 ग्राम/100 उपलब्ध किलोजूल) से अनधिक

(प्रोटीन की पोषणकारी क्वालिटी केसीन के समकक्ष या अन्य प्रोटीन की उच्चतर मात्रा के इसकी पोषणकारी क्वालिटी के विलोम होगी। प्रोटीन की गुणवत्ता केसीन के 85 प्रतिशत से अन्यून नहीं होगी।

फालो-अप फार्मूला में इसके पोषणकारी महत्व में सुधार करने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्ल मिलाए जा सकेंगे। केवल एमिनो अम्ल के एल प्ररूप का उपयोग होगा।

- (2) वसा - 4.0 ग्राम/100 कैलोरी से अन्यून (0.93 ग्राम/100 उपलब्ध किलोजूल)
6.0 ग्राम /100 कैलोरी से अन्यून (1.4 ग्राम/100 उपलब्ध किलोजूल)

लिनोलिक अम्ल (ग्लिसिराइड के रूप में) - 310 मि. ग्रा. से अन्यून (प्रति 100 कैलोरी के रूप में)
(या 74.09 मि. ग्रा./100 उपलब्ध ग्लिसिराइड)

उत्पादों में बड़े शिशुओं और युवा बालकों के खाने के लिए उपयुक्त पोषण तत्वों से युक्त कार्बोहाइड्रेटस ऐसी मात्रा में अंतर्विष्ट हो सकेंगे ताकि उत्पाद में ऊपर दी गई अपेक्षाओं के अनुसार उर्जा घनत्व समायोजिक किया जा सके।

इसमें उस समय अन्य पोषक भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जब यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो कि उत्पाद छह मास की आयु के पश्चात् उपयोग के लिए आशयित किसी मिश्रित फिडिंग स्कीम का भाग बनने के लिए उपयुक्त है। जब इनमें से कोई पोषक मिलाया जाता है, तो आहार में इन पोषकों की मात्रा संस्तुत भोजन भत्ता (सभोय) से कम नहीं होगी।

खनिज लवणों और विटामिन यौगिक के स्रोत को निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकेगा-

1. कैल्सियम (सीए) - कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम क्लोराइड, कैल्सियम साइटेट, कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक;
2. फास्फोरस (पी) - कैल्सियम फास्फेट मोनोबेसिक, कैल्सियम फास्फेट डायबेसिक, कैल्सियम फास्फेट ट्राईबेसिक, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक, पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
3. क्लोराइड (सीएल) - कैल्सियम क्लोराइड, कोलाइन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयोडाइड;
4. लोहा (एफई) - फेरियस साइटेट, फेरियस लवेट, फेरियस सल्फेट, फेरिक पाईरोफास्फेट;
5. मैग्नीशियम (एमजी) - मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आक्साइड, मैग्नीशियम फास्फेट डायबेसिक;
6. सोडियम (एनए) - सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरोइड आयोडाइड, सोडियम साइटेट, सोडियम फास्फेट मोनोबेसिक;
7. पोटेशियम (के) - पोटेशियम फास्फेट डायबेसिक;
8. तांबा (सीयू) - क्यूपरिक साइटेट, क्यूपरिक सल्फेट;
9. आयोडीन (आई) - पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड;
10. जिंक (जैडएन) - जिंक सल्फेट;
11. मैंगनीज (एमएन) - मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज सल्फेट;

विटामिन -

1. विटामिन ए - रेटिनाइल ऐसिटेट, रेटिनाइल पाल्मीटेट, रेटिनाइल प्रोपायोनेट;
2. प्रोविटामिन ए - बेटा-करोटिन;

3. विटामिन डी - विटामिन डी₂ - इगोकैल्सिफिरोल, विटामिन डी₃ - कोलीकैल्सिफिरोल, कोलीकैल्सिफिरोल - कोलेस्टिरोल;
4. विटामिन ई - डी-एल्फा-टोकोफिरोल, डीएल-एल्फा-टोकोफिरोल, डी-एल्फा टोकोफिरायल, सक्साइनेट, डीएल-एल्फा-टोकोफिरायल सक्साइनेट;
5. थायामाइन (विटामिन बी₁) - थियामाइन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, थियामाइन मोनोहाइड्रेट;
6. रिबोफ्लेविन (विटामिन बी₂) - रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन 5' - फास्फेट सोडियम;
7. नाइसिन - निकोटिनोमाइड, निकोटाइनिक एसिड;
8. विटामिन बी₆ - पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड;
9. बायोटिन (विटामिन एच) - डी-बायोटिन;
10. फोलासिन - फोलिक एसिड;
11. पेंटोथेनिक एसिड - कैल्सियम पेंटोथेनेट, पेन्थिनोल;
12. विटामिन बी₁₂ - साइनोकोबलामिन, हाइड्रोक्सीकोबलामिन;
13. विटामिन के - फाइटाइलमेनाक्वीनोन;
14. विटामिन सी - एसकोर्बिक एसिड, सोडियम एसकार्बेट, कैल्सियम एसकार्बेट, एसकार्बाइल-6 पामीटेट;
15. कोलाइन - कोलाइन बाइटारट्रेट, कोलाइन क्लोराइड;
16. इन्सोसिटोल;
17. सेलिनियम - सोडियम सेलिनाइट।

उत्पाद में पिण्डक नहीं होंगे और बाहर से देखने पर एकसमोत दिखाई देगा। यह मिलाए गए स्टार्च और मिलाए गए रंग और सुवास से मुक्त होगा। इसका स्वाद विकृतगंधी नहीं होगा और उसमें कोई दुर्गंध नहीं होगी।

इसमें निम्नलिखित योजक अंतर्विष्ट हो सकेंगे, -

उपयोग के लिए तैयार उत्पाद का 10 मि.ली. में अधिकतम स्तर

पीएच समायोजन अभिकारक

सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट
सोडियम साइट्रेट
पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
पोटेशियम कार्बोनेट
पोटेशियम साइट्रेट
सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम कैल्सियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एल (+) लैक्टिक
अम्ल साइट्रिक अम्ले

सोडियम के लिए सीमा के भीतर अच्छी विनिर्माण परिपाटी द्वारा सीमित होगा

प्रतिआक्सीकारक

मिश्रित टोकोफिरोल्स सांद्रता
 α टोकोफिरोल

3 मि. ग्रा. एकल या संयोजन में

एल-एसकारबायल पाल्मिटेट

5 मि. ग्रा. एकल या संयोजन में

यह निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, -

क्र.सं.	लक्षण	अपेक्षाएं
1	2	3
1.	आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	4.5
2.	कुल दुग्ध प्रोटीन भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) और (से अनधिक)	13.5 24.75
3.	कुल चसा, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून) (से अनधिक)	18.0 27.0
	लिनोलिएट प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1.398
4.	कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	8.5
5.	तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत (से अनधिक)	0.1
6.	विलेयता: अधिकतम विलेयता सूचक	2.0 मि. लि.
	विलेयता, भार के आधार पर प्रतिशत (से अन्यून)	98.5
7.	विटामिन ए (रेटिनोल के रूप में) μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	350 μ जी
8.	मिलाया गया विटामिन डी (कोलेकैल्सिफिरोल या इर्गोकैल्सिफिरोल के रूप में अभिव्यक्त) यूजी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	4.5 μ जी
9.	विटामिन सी, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	36 मि.ग्रा.
10.	थियामाइन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	180 μ जी
11.	रिबोफ्लेविन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	270 μ जी
12.	नियासिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1125 μ जी
13.	पायरिडोक्सिन μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	202.50 μ जी
14.	फोलिक अम्ल, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	20 μ जी
15.	पेंटोथेनिक अम्ल, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	1.35 मि.ग्रा.
16.	विटामिन बी ₁₂ , μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	0.675 μ जी
17.	कोलाइन, मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	32 मि.ग्रा.
18.	विटामिन के, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	18 μ जी
19.	बायोटिन, μ जी प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	6.75 μ जी
20.	विटामिन ई (ए-टोकोफिरोल मिश्रण के रूप में) आई.यू. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	3.15 आई.यू.
21.	सोडियम, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	90 मि.ग्रा.
22.	पोटाशियम, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	360 मि.ग्रा.
23.	क्लोराइड, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	247.50 मि.ग्रा.
24.	कैल्सियम, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	405 मि.ग्रा.
25.	फास्फोरस, मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम (से अन्यून)	270 मि.ग्रा.